जिला प्रशासन सोनीपत
राज्य सरकार द्वारा जनहित में जारी
राज्य में कोविड-19 मृतक के परिजनो को 50000/- रूपये की अनुग्रह सहायता राशि

राज्य सरकार द्वारा, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों अनुसार, राज्य में कोविड-19 के कारण मरने वाले प्रति मृतक के परिजनों को 50000/- रूपये की अनुग्रह सहायता राशि प्रदान की जा रही है । आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर अनुग्रह सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित कर दी जायेगी ।

आवेदन की प्रक्रिया :- आवेदक अपना अंत्योदय सरल पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवा "Ex-Gratia assistance to next of kin of the deceased by COVID-19" के माध्यम से जमा कर सकते है अंत्योदय सरल पोर्टल पर क्लिक करके (https://saralharyana.gov.in/), पोर्टल के होमपेज पर बाई ओर "Ex-Gratia assistance to next of kin of the deceased by COVID-19" की योजना उपलब्ध है ।

अथवा

https://saralharyana.gov.in/directapplly.do?serviceId=1674 से भी आवेदन किया जा सकता है । आवेदन करन के लिए पोर्टल पर मोबाईल/कंप्यूटर से ओटीपी (OTP) उत्पन्न करके ,निम्नलिखित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा ।

1. मृतक का कोविड-19 संक्रमण सत्यापित करने वाली निम्नलिखित रिपोर्ट में से किसी एक की प्रति :-आरटी-पीसीआर/रैपिड एंटीजन/ आणविक परीक्षण/मृतक के कोविड-19 संक्रमण सत्यापित करने वाला चिकित्सा उपचार का दस्तावेज/फार्म.4/फार्म.4ए ।
2. मृतक के मृत्यु प्रमाण प्रत्र की प्रति ।

इस योजना के तहत 50000/- रूपये की अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित कोविड-19 मृतक के परिवार भी पात्र है :

1. ऐसे मृतक जिनकी मृत्यु कोविड-19 संक्रमण सत्यापित होने की तारीख के 30 दिनों के भीतर हो गई है ।
2. ऐसे मृतक जिनकी मृत्यु कोविड-18 संक्रमण के उपचार हेतु अस्पताल में 30 दिनों से अधिक भर्ती रहने के उपरांत हो गई हो ।
3. मृतक जिसने कोविड-19 संकर्मित होने के 30 दिनो के भीतर आत्महत्या कर ली हो ।

शिकायत निवारण तंत्र : जनता की शिकायतों के समाधान के लिए, जिला स्तर पर दो शिकायत निवारण समितियों का भी गठन किया है । पीड़ित व्यक्ति निम्नानुसार शिकायतों के लिए, अपनी शिकायत संबंधित जिला उपायुक्त या अतिरिक्त जिला उपायुक्त को उनके कार्यालयों में दे सकते है ।

- आवेदन पश्चात 50000/- रूपये की अनुग्रह सहायता राशि प्राप्त न हुई हो ।
- यदि कोई अस्पताल या वह संस्थान जहां मृतक का ईलाज हुआ था, ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करता है, जो की मृत्यु का कारण कोविड-19 सत्यापित करने के लिए आवश्यक हो ।
- यदि परिवार का कोई सदस्य पहले से जारी मृत्यु प्रमाण में दिए गए मृत्यु के कारण से संतुष्ट नहीं है, तो वह मृत्यु प्रमाण पत्र में संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे की आरटी-पीसीआर/ रैपिड एंटीजन/ आणविक परीक्षण/मृतक के कोविड-19 संक्रमण सत्यापित करने वाला चिकित्सा उपचार का दस्तावेज/ फार्म-4/ फार्म-4ए, प्रस्तुत कर उचित प्राधिकारी, जिसने मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया है, से शिकायत कर सकता है । शिकायत का निवारण उचित प्राधिकारी द्वारा न होने पर, पीड़ित व्यक्ति शिकायत निवारण समिति के पास जा सकता हैं ।

पोर्टल से संबंधित ऑनलाइन आवेदन के संबंध में किसी भी जानकारी हेतु अंत्योदय सरल हेल्पलाइन-0172-3968400 पर संपर्क किया जा सकता है ।

निवेदक : जिला उपायुक्त, सोनीपत

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा सरकार